कार्यालय,जनपद न्यायाधीश,रामपुर।

आदेश 137 दिनांकः जुलाई 06,2020

आदेश

जिला प्रशासन,रामपुर से मौखिक वार्ता एवं श्री प्रवीण वर्मा,ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट/ उपजिलाधिकारी सदर,रामपुर के पत्रांक 1865/एस.टी.दिनांकित 06 जुलाई,2020 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि श्री नवीन कुमार शर्मा,वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट, रामपुर दिनांक 02-07-2020 को जिला चिकित्सालय रामपुर में चिकित्सीय परीक्षण के आधार पर कोरोना पॉजिटिव पाये गये थे,जिसके क्रम में पत्रांक 1748/एस.टी.दिनांकित 03-07-2020 द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश परिसर,जिला अधिकारी कार्यालय एवं पुलिस कार्यालय 24 घण्टे के लिए बन्द किये गये थे तथा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने अथवा बचाव हेतु कलेक्ट्रेट परिसर रामपुर के 250 मीटर रेडियस क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किया गया था। आज दिनांक 06-07-2020 को कलेक्ट्रेट रामपुर के 4 कर्मचारीगण,जिनका कलेक्ट्रेट परिसर में आवागमन रहता है,कोरोना पॉजिटिव पाये गये है। कलेक्ट्रेट परिसर पर कोरोना को लेकर संवेदनशीलता बनी हुई है एवं यहाँ समस्त कार्यालयों के संचालन से पूर्व इन कार्यालयों में कार्यरत समस्त कर्मचारीगण की कोविड-19 सैम्पलिंग किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। जिला प्रशासन द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त परिसर के समस्त कार्यालयों को अगले 24 घण्टे तक बन्द रखते हुए वहाँ कार्यरत समस्त कर्मचारीगण की कोविड-19 की सैम्पलिंग की जाये और उनके परिणाम प्राप्त होने तक इन कार्यालयों में केवल आवश्यक कार्य एवं सेवाएं स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सम्पादित किया जाये। उक्त परिसर में आम जन मानस का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा।

उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद के पत्रांक 1117/LXXXVII-CPC/eCourts/इलाहाबाद दिनांकित 03-06-2020, दिनांक 25-03-2020 व पत्रांक PS(RG)/52-2020 इलाहाबाद दिनांकित मई 02, 2020 तथा शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार न्यायालय परिसर कन्टेनमेन्ट जोन के अन्तर्गत आने के कारण जनपद न्यायालय,रामपुर दिनांक 06-07-2020 व दिनांक 07-07-2020 को बन्द रहेगा।

न्यायालय परिसर में सैनिटाईजेशन का कार्य प्रभारी अधिकारी,नजारत की देख-रेख में पूर्ण कराया जाये तथा सैनिटाईजेशन पूर्ण होने के सन्दर्भ में आख्या दिनांक 07-07-2020 की सायं 5.00 बजे तक प्रेषित करें।

जनपद न्यायालय रामपुर में कार्यरत समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण(तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी),जिनकी कोविड-19 की सैम्पलिंग नहीं हुई है,वे विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व कोर्ट मैनेजर की देख-रेख में सैम्पलिंग सी०एम०ओ०/प्रशासन के सहयोग से कराना सुनिश्चित करें।

कोविड-19 से सम्बन्धित केसों में हो रही बढ़ोतरी की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय परिसर का गेट संख्या-2 अस्थायी रूप से बन्द रहेगा। समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण केवल गेट संख्या-1 के द्वारा न्यायालय परिसर में प्रवेश करेगें।

कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए न्यायालय परिसर में किस प्रकार अधिवक्तागण का प्रवेश सीमित व आज जन मानस का प्रवेश न्यूनतम रखा जाये व साथ ही न्यायिक कार्य भी माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद के आदेशानुसार सम्पादित किया जा सके,इस सन्दर्भ में दिनांक 08–07–2020 को प्रातः 10.30 बजे बार संघ,रामपुर के पदाधिकारीगण के साथ जनपद न्यायाधीश के विश्राम कक्ष में मीटिंग की जायेगी।

इस आदेश को न्यायालय की वेबासाइट पर अपलोड किया जाये तथा माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित किया जाये।

सर्व सम्बन्धित सूचित हों।

जनपद न्यायाधीश,
रामपुर।
06–07–2020

प्रतिलिपि–

1– जिला मजिस्ट्रेट,रामपुर।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी,रामपुर।
3– पुलिस अधीक्षक,रामपुर।
4– सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,रामपुर।
5– बार संघ,रामपुर।
6– अधीक्षक,जिला कारागार,रामपुर।
7– सिस्टम ऑफिसर,जनपद न्यायालय,रामपुर।

जनपद न्यायाधीश,
रामपुर।
06–07–2020